फैसला: संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी के शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, उम्मीदवारी खारिज करने का नोटिस रद्द

चार हफ्ते में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर करें नियुक्ति

हाईकोर्ट

रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट ने संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विनोद कुमार सिंह सहित अन्य सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खारिज करने से जुड़े 21 जून 2023 के नोटिस को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वीकार कर उन्हें चार सप्ताह के भीतर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करें। अदालत ने सरकार और आयोग की दलील खारिज करते हुए

21 जून 2023 के नोटिस को पूरी तरह रद्द कर दिया

2017 में सरकार ने स्नातक डिग्री को भी पात्रता के रूप में मान्यता दी थी

कोर्ट ने कहा

- सरकार अपने ही निर्णय से पीछे नहीं हट सकती
- योग्यता का हवाला दे उम्मीदवारी रद्द करना मनमाना व अनुचित
- सरकार और जेएसएससी उम्मीदवारी स्वीकारें
- अभ्यर्थियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया

स्पष्ट किया कि जब राज्य सरकार ने खुद नियमों के तहत स्नातक योग्यता को मान्यता दी थी और आयोग ने संशोधित विज्ञापन निकाला था, तब सरकार अपने ही निर्णय से पीछे नहीं हट सकती। बाद में योग्यता का हवाला देकर उम्मीदवारी रद्द करना मनमाना और अनुचित है।

क्या था पूरा मामला: वर्ष 2015 की नियमावली के तहत संस्कृत आदि विषयों के लिए स्नातकोत्तर (पीजी) या आचार्य की डिग्री का प्रावधान था, लेकिन अस्पष्टता दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नियमावली के नियम 16 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2017 में पत्र जारी कर न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक की डिग्री को भी पात्रता के रूप में मान्यता दी थी।

इसके आधार पर जेएसएससी ने संशोधित विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि उनके पास पीजी या आचार्य की डिग्री नहीं है।

एमटीएस और केटीएस कर्मियों को नियमित करने का आदेश

रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने संविदा पर कार्यरत मलेरिया व कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजर (एमटीएस/केटीएस) के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनका नियमितीकरण ठुकरा दिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 14 से 18 साल से सेवा दे रहे इन 11 कर्मियों को मलेरिया इंस्पेक्टर के वेतनमान में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित किया जाए।

अदालत ने कहा कि जब सरकार समान प्रकृति के कार्यों के लिए एमपीडब्ल्यू कर्मियों को नियमित कर सकती है, तो उनके सुपरवाइजरों के साथ भेदभाव करना मनमाना और असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नियमित पद उपलब्ध न हों, तो सुपरन्यूमेररी पद सृजित कर 12 सप्ताह के भीतर आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।

लेडी सुपरवाइजर: 12 अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश

रांची। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति मामले (जेएसएससी विज्ञापन 14/2023) में मुमताज बेगम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व के एनसीएल या ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र होने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी, तो बाद की तिथि के प्रमाणपत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार के सभी कारण बताओ नोटिस रद्द करते हुए इन 12 अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में लेडी सुपरवाइजर पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है।

झारखंड से छह कांग्रेस नेता बनाए गए पर्यवेक्षक

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कांग्रेस देशभर में वोट बचाओ-देश बचाओ कार्यक्रम चला रही है। इसके सफल संचालन के लिए देशभर में कांग्रेस ने जिलावार पर्यवेक्षक बनाए हैं। हर पर्यवेक्षक को चार से छह जिलों की कमान सौंपी गई है। झारखंड के छह कांग्रेस नेताओं को छत्तीसगढ़, बिहार, असम, नागालैंड के कई जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, झारखंड में भी पांच नेता 24 जिलों के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिला समेत अन्य जिलों का पर्यवेक्षक बनाया गया है। उन्हें भलोद, भिलारी सिटी, दुर्ग सिटी, दुर्ग ग्रामीण, राजनंदगांव सिटी, राजनंदगांव ग्रामीण और खइरागढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं, जयशंकर

- देशभर में चलेगा वोट बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम
- राजेश ठाकुर को भूपेश बघेल के जिले का जिम्मा

पाठक को असम के पांच जिले, बन्ना गुप्ता को नागालैंड के चार जिले, राजेश कच्छप को बिहार के चार जिले, अजय कुमार और कुमार जयमंगल को बिहार के पांच-पांच जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड के 25 जिले (रांची महानगर समेत) का पर्यवेक्षक पांच नेताओं को बनाया गया है। 25 अक्तूबर से 25 नवंबर तक ये नेता वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल का जिलावार आयोजन कराएंगे। एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली आयोजित की जाएगी।

एक डिफॉल्ट के लिए बार-बार जेल नहीं भेज सकते: कोर्ट

रांची। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने मेंटेनेंस मामले में बड़ा आदेश देते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) के तहत एक ही डिफॉल्ट के लिए पति को बार-बार 30-30 दिनों के लिए जेल नहीं भेजा जा सकता। इस धारा के तहत अधिकतम सजा एक माह ही है।

मामला दुमका के दशरथ सिंह का है, जिन्हें भरण-पोषण न देने पर फैमिली कोर्ट के आदेश पर 23 बार 30-30 दिनों के लिए रिमांड पर रख जेल में ही रखा गया था। हाईकोर्ट ने इसे गैर-कानूनी मानते हुए स्पष्ट किया कि एक ही बकाया के लिए बार-बार जेल की सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने दुमका फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया।

जगुआर का बदलेगा स्वरूप, एसटीएफ के तर्ज पर अपराधियों से अब मुकाबला

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में नक्सलवाद के चरम के दिनों में ग्रे हाउंड के तर्ज पर झारखंड जगुआर का गठन साल 2008 में किया गया था। लेकिन, अब जब नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, तो झारखंड जगुआर के स्वरूप को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। अब जगुआर बड़े राज्यों में काम कर रही एसटीएफ के तर्ज पर काम करेगा। इसके लिए झारखंड जगुआर का पुनर्गठन किया जाएगा।

एसटीएफ का काम राज्य में सक्रिय विभिन्न अपराधियों और साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी का होगा। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार डीजीपी तदाशा मिश्र द्वारा झारखंड जगुआर के पुनर्गठन को लेकर एक खाका तैयार किया

- नक्सलवाद का प्रभाव खत्म होने के बाद झारखंड जगुआर का होगा पुनर्गठन

गया है। इसे लेकर डीजीपी ने बैठक भी बुलाई थी। लेकिन, फिलहाल बैठक कुछ कारणों से टाल दी गई है। जल्द ही इसे लेकर डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक होगी और झारखंड जगुआर के पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार झारखंड जगुआर के पुनर्गठन को लेकर प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है।

क्यों किया जा रहा है पुनर्गठन: पुलिस अधिकारियों के अनुसार झारखंड में अब कोई भी जिला नक्सलियों के प्रभाव में नहीं है। जबकि, झारखंड जगुआर का गठन नक्सलियों से लड़ाई के लिए किया गया था। वर्तमान में झारखंड जगुआर के अफसरों और जवानों के पास नक्सलियों के खिलाफ अभियान से संबंधित काम कम हैं। ऐसे में जगुआर के जवानों को हालिया छात्र प्रदर्शन व विधि व्यवस्था की ड्यूटी में भी लगाया गया था। विधि व्यवस्था की खास समस्या होने पर भी जगुआर की तैनाती की जाएगी। झारखंड जगुआर में करीब 2700 अफसर-जवान हैं।

सियासत 30S

ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल ब्रजमोहन राम का शनिवार को भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत करते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी।

गवर्नर पद की आज शपथ लेंगे ब्रजमोहन

रांची। पलामू के पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम आज ओडिशा के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद शनिवार को वह रांची से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनका स्वागत ओडिशा के सीएम मोहन चंद्र मांझी ने किया। उनके शपथ ग्रहण में झारखंड से भी कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे।

आज नेमरा पहुंचेगा माकपा का शिष्टमंडल

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि देने माकपा का शिष्टमंडल रविवार को नेमरा जाएगा। इसका नेतृत्व पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य एवं वरिष्ठ नेता सुफल महतो करेंगे। शिष्टमंडल के सदस्य शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे। यह जानकारी माकपा की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है।

21 को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग

रांची। विजयादशमी पर 21 अक्तूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग पर अब तक निर्णय नहीं होने से बैंककर्मियों में निराशा है। झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नितेश कुमार मिश्रा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है।

साक्ष्य के अभाव में पोक्सो एक्ट का आरोपी बरी

रांची। विशेष पोक्सो अदालत ने बेड़ो थाना क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी व छिनतई के आरोपी मकबूल अंसारी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मामला मई 2026 का है, जहां जंगल में किशोरी व उसके मित्र से मोबाइल व सोने का लॉकेट छीनने और छेड़खानी का आरोप लगा था। सुनवाई में पीड़िता व उसके मित्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए।

सोशल मीडिया से

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने एक्स पर पोस्ट किया- आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हम सरकार की नीतियों से असहमत हैं, तो हमारे पास गांधीवादी तरीके हैं। हम धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और नारे लगाते हैं। लेकिन एक कायर या तानाशाही सरकार, जो अपनी आवाज से अलग हर आवाज को दबाना चाहती है। जो लोग विरोध जताने की हिम्मत करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है।

302 में से 288 बालू घाट अब भी बंद

भाजपा

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को बयान जारी कर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 302 बालू घाटों की नीलामी के बावजूद 288 घाट बंद हैं। नीलामी का ढोल बज गया, लेकिन जरूरी स्वीकृतियों की फाइलें वहीं अटकी हैं। बालू चोरी के धंधे को बढ़ावा देने और इसे जारी रखने के लिए जानबूझकर इन बालू घाटों को नहीं खुलने दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पर्यावरणीय स्वीकृति, ग्रामसभा की अनुमति और प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी तरह 21 अगस्त से होल्डिंग टैक्स की वसूली बंद है और वैकल्पिक व्यवस्था का अता-पता नहीं।

केंद्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा: शाहदेव

रांची। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा और केंद्र की एनडीए सरकार पर देश के मतदाताओं को भरमाने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की बात कही है।

कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब प्रोटेस्ट करने के पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार जनता के आक्रोश को देखकर घबरा गई है। ये सरकार अब अंतिम सांसें गिन रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे देशव्यापी आंदोलन के कारण आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। अब राजनीतिक दलों को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिलेगी। चुनाव आयोग के सारे तर्क धरे के धरे रह गए। कांग्रेस लोकतंत्र और वोट के अधिकार पर हो रहे हमले के खिलाफ संघर्ष करते रहेगी।

केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से देश कमजोर: दुबे

रांची। झारखंड कांग्रेस के महासचिव लोक कुमार दूबे ने प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत की तुलना बांग्लादेश से करते हुए केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,886 डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि भारत की 2,749 डॉलर है। यह स्थिति मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता को दर्शाता है।

हिन्दुस्तान भरोसा नए हिन्दुस्तान का

JHARKHAND STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
1st Floor, Jharkhand State Housing Board (Old Headquarter)
Harmu Housing Colony, Ranchi-834002
Website: www.jserc.org Email: info@jserc.org

No. JSERC/03/2026 Dated: 16.10.2026

NOTICE

Jharkhand State Electricity Regulatory Commission needs to appoint **Director (01) on Deputation/Contract basis.** The details of the posts, age, tenure, pay etc. are available on the website of the Commission www.jserc.org/director2026.pdf. The interested candidates, who fulfil the criteria and are willing for the above post, may apply through registered/speed post only, so as to reach latest by 20/12/2026 at 17:00 hrs.

By Order of the Commission
Sd/- (R.P. Nayak)
Secretary

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India **BOI** रिश्तों की जमापूँजी

साकची शाखा
99, ठाकुरबाड़ी रोड, आमबगान, साकची, जमशेदपुर, झारखण्ड – 831001

[Rule - 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिए)

वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अर्न्तगत एवं उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के नियम 3 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, जो कि **बैंक ऑफ इंडिया, साकची शाखा के प्राधिकृत अधिकारी** हैं, ने निम्न ऋणियों का उनके सामने अंकित तिथि को मांग पत्र तिथि के 60 दिनों के भीतर, अंकित राशि एवं उस पर ब्याज व खर्चे चुकता करने हेतु माँग पत्र जारी किया था। ऋणियों एवं जमानतदारों द्वारा रकम भुगतान करने में असफल हो जाने पर, ऋणियों एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने उसकी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया है। ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेष तौर पर एवं जनसाधारण को सामान्यतः इस सूचना के द्वारा सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई लेन–देन नहीं करें। उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किया गया कोई भी लेन–देन **बैंक ऑफ इंडिया, साकची शाखा** के प्रभार के अधीन होगा। **ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो प्रतिभूत सम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में है।**

ऋणीयों / जमानतदारों / बकाया / मांग पत्र / सम्पत्ति इत्यादि का विवरण

ऋणी / जमानतदार का नाम	(1) धारा 13 (2) के अनुसार सूचना की तिथि (2) माँग पत्र धारा 13 (2) के अनुसार बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि
ऋणी: **हरलीन कौर** पुत्री चिरंजीव सिंह सप्पल, फ्लैट संख्या 406, चौथा तल्ला, पर्ल व्यू अपार्टमेंट, 7वां एक्सटेंशन रोड, ऑरचिड रेजिडेंसी के विपरीत, सोनारी, जमशेदपुर – 831011, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमानतदार: **चिरंजीव सिंह सप्पल,** फ्लैट संख्या 406, चौथा तल्ला, पर्ल व्यू अपार्टमेंट, 7वां एक्सटेंशन रोड, ऑरचिड रेजिडेंसी के विपरीत, सोनारी, जमशेदपुर – 831011, जिला–पूर्वी सिंहभूम	(1) 30.07.2026 (2) रू. 10,90,339.00 (रूपये दस लाख नब्बे हजार तीन सौ उनचालीस मात्र) + उस पर ब्याज सहित	मौजा – गोपालपुर, सर्वे थाना नंबर 113, हल्का नंबर V, खाता नंबर 198, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 14.08.1964 को किया गया था में स्थित आवासीय भूमि का संपूर्ण भाग जिसमें प्लॉट नंबर 419 के दक्षिणी भाग में से रकबा 0.04 एकड़ (चार डिसमिल), कुल रकबा 0.08 एकड़ जिस पर पक्का मकान आदि निर्मित है, जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 110 वर्गफुट है। **चौहद्दी: उत्तर** – स्वयं विक्रेता की उसी प्लॉट की शेष 0.04 एकड़ भूमि, **दक्षिण** – तहल सिंह, **पूर्व** – क्रेता की निज भूमि, **पश्चिम** – आनंदी लाल अग्रवाल.	14.10.2026

दिनांक : 14.10.2026
स्थान : जमशेदपुर
नोट: त्रुटी / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
ह०/– प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया

SBI भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई गृह ऋण केन्द्र, जमशेदपुर
प्रथम तल, जमशेदपुर शाखा भवन, बिष्टुपुर, जमशेदपुर–831001

वाहन की बिक्री (दिनांक: 27.10.2026) नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

भारतीय स्टेट बैंक ने हमारी शाखा के ऋण खाते में हाइपोथेकेशन समझौते के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित वाहनों को बैंक के बकाया की वसूली के लिए **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'', ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचने के अधिकार के साथ अपने कब्जे में ले लिया है।

क्र.सं.	कर्जदार का नाम	निर्माता	मॉडल	रजिस्ट्रेशन वर्ष	रजिस्ट्रेशन सं.	आरक्षित मूल्य (रु.)
01	श्री क्षितिज	STELLANTIS AUTOMOBILES INDIA PVT. LTD.	New Citron C3 X Live	2025	JH-05-EG-4218	रु. 3,49,000.00
02	श्री ललित कुमार राणा	KIA INDIA PVT. LTD.	KIA Carens G 1.5 GMT Prestige 07	2025	JH-05-DZ-0115	रु. 7,92,000.00
03	श्री सुशील होरो	HYUNDAI	Hyundai Creta 1.5 MPIMT SX	2023	JH-05-DZ-1578	रु. 9,45,000.00
04	श्री अमित कुमार सिंह	MARUTI INDIA LTD.	Maruti XL6 Smart Hybride Zeta	2025	JH-05-DZ-3987	रु. 10,25,000.00

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें:

1. **ई–नीलामी की तिथि : 27.10.2026 (मंगलवार), समय : 360 मिनट सुबह 11:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के विस्तार के साथ।**
2. ई–नीलामी, पोर्टल / वेबसाइट : **https://baanknet.com** के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
3. बोलीदाताओं को अपने मोबाइल सं. एवं ईमेल–आईडी का उपयोग करके इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा, उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा जो सत्यापित हो जाते हैं (2 कार्य दिवस लग सकते हैं), तो बोलीदाताओं को समय पर ईएमडी राशि एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरित करनी होगी।
4. सफल बोलीदाता को पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करने के बाद, तुरंत यानी उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, बिक्री मूल्य का 10% जमा करना होगा। बिक्री मूल्य का शेष 90% बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले देय होगा।
5. किसी भी आवेदन को या पूरी नीलामी प्रक्रिया को निरस्त या अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।
6. संपत्ति / वाहन संबंधी पूछताछ / सत्यापन के लिए मोबाईल सं. **8102076901, 9031802451** पर संपर्क करें, संपर्क का समय : **सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य** बोलीदाताओं से अनुरोध है कि एसबीआई जमशेदपुर मुख्य शाखा, बिष्टुपुर के परिसर में कार्यालय समय के दौरान ई–नीलामी से पहले व्यक्तिगत रूप से संपत्ति / वाहन का सत्यापन कर लें।
7. बैंक द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के बाद जीएसटी, वाहन पंजीकरण शुल्क / खर्च स्वयं सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

दिनांक : 17.10.2026, स्थान : जमशेदपुर
प्रकाशन में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा।
ह०/– (प्राधिकृत अधिकारी)
भारतीय स्टेट बैंक, गृह ऋण केन्द्र जमशेदपुर